

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 259/2011

वादी :-	बनाम	प्रतिवादीगण :-
श्री सीमेन्ट लि0 (रास प्रोजेक्ट) जरिए		1. रुकमणी पुत्री जीवण
महावीर चौपड़ा महाप्रबंधक (कार्मिक		2. राधा पुत्री जीवण
व प्रशासन) पुत्र श्री जवाहरलाल		3. मगनी पुत्री जीवण
चौपड़ा सा. बांगड नगर अन्धेरी		जातियान-गुर्जर
देवरी, तहसील-मसूदा जिला-अजमेर		निवासीगण-निम्बेटी (रास-11)
(राज0)		तह0-जैतारण,(जिला-पाली)
		4. तहसीलदार, जैतारण
		तहसील-जैतारण जिला -पाली

राजस्व वाद बाबत् तकासमा आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955


तारीख रजु: 21/10/2011

उपस्थित: 1. श्री चावण्डदान बारहट, अधिवक्ता, वादी।

--: निर्णय ::-


दिनांक:- 13.01.2015

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् तकासमा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि श्री सीमेन्ट लि0 ब्यावर' का एक सीमेन्ट प्लांट बांगड सीमेन्ट के नाम से सरहद मौजा-रास, तहसील जैतारण में स्थापित, कार्यरत एवं उत्पादनरत है। उक्त श्री सीमेन्ट लि0 (रास प्रोजेक्ट) कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत एक पब्लिक लि0 कम्पनी के रूप में पंजीबद्ध है। इस कम्पनी के सभी प्रकार के कार्मिक व प्रशासनिक कार्यों के लिए बतौर महाप्रबंधक महावीर चौपड़ा नियुक्त व कार्यरत है। कम्पनी द्वारा कृषि भूमि के लिए तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा का यह वाद प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत है, वाद पेश करने हेतु कम्पनी का अधिकार पत्र संलग्न पेश किया है, जो वाद पत्र का एक भाग है। सरहद मौजा रास द्वितीय, पटवार हल्का-रास द्वितीय, तहसील-जैतारण में वाके आराजी खसरा नम्बर 3109 रकबा 0-13 बीघा किस्म बारानी दोयम है, जिसमें 4/5 हिस्से का वादी कम्पनी रिकॉर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है, व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 उक्त भूमि के सह खातेदार काश्तकार हैं। सभी हिस्सेदारों के मध्य मौके पर भूमि अलग-अलग बंटी हुई है व हिस्सानुसार सभी का कब्जा व काश्त है। वादी के 4/5 हिस्से की भूमि यानि 10 बिस्वा 08 बिस्वांसी भूमि मौके पर बंटी हुई है व वादी का 4/5 हिस्से पर बतौर रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार के काबिज है। मगर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की सम्पूर्ण भूमि में एक खाते के रूप शामिल दर्ज है व नक्शा ट्रेष में भी सम्पूर्ण भूमि एक जोत दर्शाई गई है। मौके के कब्जे व काश्त अनुसार अलग-अलग तरमीम की हुई नहीं है। खसरा नम्बर 3109 की भूमि जिसे वाद में आगे वादग्रस्त भूमि के नाम से निर्दिष्ट किया जायेगा। की सम्बत् 2065 से 2068 की जमाबन्दी खतौनी व नक्शा ट्रेष की प्रमाणित प्रति वाद के साथ पेश की हैं, जिसे वाद का एक भाग माना जावे। वादी की वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 3199 की 4/5 हिस्से की भूमि यानि 10 बिस्वा 08 बिस्वांसी कृषि भूमि मौके पर अलग से बंटी हुई है व


उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

वादी का अत्यास से कब्जा व काश्त है। वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को मौके के कब्जे, काश्त, हिस्से एवं खातेदारी अनुसार भूमि का बाई मिट्स एण्ड वाउण्डस के तकासना करवाने का कर्ना, मगर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की नियत सही नहीं होने से उन्होंने बंटवाड़ा करवाने से दिनांक 11/09/2011 को मना कर दिया, जबकि प्रतिवादी को ऐसा करने का कोई काबूनी अधिकार नहीं है। वादी अपनी भूमि का बाई मिट्स एण्ड वाउण्डस के तकासना करवाने का अधिकारी हैं। इसलिए दावा तकासना आराजी खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश किया है। बाद तकासना आराजी वादी अपनी खातेदारी कब्जे काश्त व हिस्से की वादवास्त भूमि का उपयोग / उपभोग बतौर खातेदार काश्तकार के करने का अधिकारी है व प्रतिवादी को वादी के हक हिस्से व कब्जे काश्त खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलदारी, बाधा पैदा करने का कोई काबूनी अधिकार नहीं है। यदि प्रतिवादी द्वारा ऐसा किया गया, तो वादी को असीम हानि होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर सम्भव नहीं है। वादी को अपूर्णाय क्षति होगी व प्रतिवादी द्वारा ऐसा किया गया तो वादी को बार-बार दिवानी व फौजदारी मुकदमें करने पड़ेगे, जिससे नल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी, जिससे वादी प्रतिवादी के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। इसलिए दावा स्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश किया है। प्रतिवादी सं. 4 तहसीलदार जैतारण वादवास्त कृषि भूमि के लैण्ड होल्डर है, जो राज्य सरकार के प्रतिनिधि है व तकासना आराजी के बाद में आवश्यक पक्षकार होने के कारण उन्हें इस वाद में पक्षकार बनाया गया है, उनके विरुद्ध कोई रिलीफ नहीं चाही गई है। विनायवाद दिनांक 11/09/2011 को प्रतिवादी ने बाई मिट्स एण्ड वाउण्डस के वादी द्वारा तकासना करवाने का कहने पर मना करने पर बमुकाम-रास द्वितीय में पैदा हुआ व जब तक तकासना नहीं होगा, तब तक वाद हेतुक वादी को प्राप्त होगा व होता रहेगा व दखलदारी की मंशा जाहिर करने पर बमुकाम-रास-11, तहसील-जैतारण में पैदा हुआ, जो अब्दर न्याद हक अख्यार समायत अदालत बाला के है। इस प्रकार माफिक दावा वकील वादी ने वादी का वाद डिक्री किया जाकर विवादित आराजी का बाई मिट्स एण्ड वाउण्डस बंटवाड़ा पक्षकारानों में किये जाने की ईशतदुआ की है। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किये गये। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 की ओर से वकील श्री देवाराम फ्यारिया अधिवक्ता को वकालतनामा पेश करने के अनेकानेक अवसर दिये जाने पर भी वकालतनामा पेश करने में विफल रहने से अवसर समाप्त किया गया। प्रति 0 संख्या 4 को बायजूद तामिली / सूचना बार-बार आवाजे दिलाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध दिनांक 21/11/11 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वकील वादी ने शहादत वादी पी0डब्ल्यू0-1 महावीर चौपड़ा का तस्दीक सुदा शपथ-पत्र पेश किया तथा मुख्य परीक्षण पर दिनांक 03/12/2014 को Exp 1 से 2 दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये गये, सा0मि0 हैं। अन्य शहादत वादी पेश नहीं करना चाहने से शहादत वादी बन्द की गई।

वकील वादी की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी ने व्यक्त किया कि सरहद मौजा-रास द्वितीय, पटवार हल्का-रास द्वितीय, तहसील-जैतारण में वाके आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 3109 रकबा 0-13 बीघा किरम बाराणी दोयम भूमि के स्वयं खातेदार काश्तकार वर्तमान में दर्ज हैं, जिसमें माफिक राजस्व रिकॉर्ड उक्त विवादित भूमि में वादी की भूमि का बाई मिट्स एण्ड वाउण्डस बंटवाड़ा पक्षकारानों में किये जाने की ईशतदुआ की है।


इशतदुआ
बंटारण (वादी)

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र, शहादत वादी के शपथ-पत्र एवं अन्य दस्तावेजात Exp 1 से 2 का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया। बहस वकील वादी पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादी उक्त विवादित आराजी की कृषि भूमि के अपने हिस्से के राजस्व रेकॉर्ड अनुसार खातेदार काश्तकार दर्ज हैं। इसलिए बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस उक्त विवादित आराजी में वादी का भूमि का बंटवाड़ा करवाने के अधिकारी हैं। लिहाजा उक्त विवादित भूमि का पक्षकारानों में बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस माफिक राजस्व रिपोर्ट प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर बंटवाड़ा किया जना उचित समझते हुए माफिक राजस्व रेकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि सरहद मौजा-रास द्वितीय, पटवार हल्का-रास द्वितीय, तहसील-जैतारण में वाके आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 3109 रकबा 0-13 बीघा किस्म बाराणी दोयम भूमि में वादी की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा करवाकर खाता व लगान अलग-अलग किये जाने व नेखमबंदी /पत्थरगढ़ी करके खाता व लगान अलग-अलग किये तथा नजरी नक्शा बनाया जाने हेतु आदेशित किया गया। प्राथमिक डिक्री पर्चा दिनांक 03/12/2014 को पृथक से बनाया जाकर सामिल मिशल किया गया। बंटवाड़ा करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया गया। प्राथमिक डिक्री की प्रति भेजकर तहसीलदार, जैतारण को पत्रांक/कोर्ट/14/1228 दिनांक 16/12/14 को वास्ते विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु लिखा गया। तहसीलदार, जैतारण द्वारा बंटवाड़ा रिपोर्ट / विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा पत्रांक /राजस्व/15/2275 दिनांक 05/01/2015 के जरिए पेश की, जिसे सा0मि0 किया गया।

बहस अधिवक्ता वादी सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट / विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 29/12/2014 वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईशतदुआ की हैं।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद पत्र एवं विभाजन प्रस्ताव / बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया। वस्तुतः माफिक पत्रांक/15/2275 दिनांक 05/01/2015 के संलग्न सम्पादित विभाजन प्रस्ताव / बंटवाड़ा रिपोर्ट दिनांक 29/12/2014 की पालना रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अनुसार वकील वादी ने बंटवाड़ा को सम्पुष्ट कर उक्त बंटवाड़े की स्वीकारोक्ति दी हैं। लिहाजा माफिक विभाजन प्रस्ताव / बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा दिनांक 29.12.2014 वादी का वाद डिक्री किया जाकर एवं राजस्व रेकॉर्ड में अगले दरामद/तरमीम किया जाना उचित समझते हैं।

--:: आदेश ::--

अतः माफिक विभाजन प्रस्ताव / बंटवाड़ा रिपोर्ट दिनांक 29/12/2014 मय नजरी नक्शा डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-रास द्वितीय, पटवार हल्का-रास द्वितीय, तहसील-जैतारण में वाके आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 3109 रकबा 0-13 बीघा किस्म बाराणी दोयम भूमि का बंटवाड़ा /विभाजन पक्षकारानों में निम्नांकित रूप से किया जाता हैं

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वलदियत व सकूनत	ख0नं0	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1	मैसर्स श्री सीमेन्ट लि0 (रास प्रोजेक्ट) जरिए महावीर चौपडा महाप्रबंधक (कार्मिक व प्रशासन) बांगड़ नगर अंधेरी देवरी तह0-मसूदा, जिला-अजमेर खातेदार।	3109	0-10-00	बा0दो0	0.13 रू0
2	रामगोपाल इन्डस्ट्रीज प्रा0लि0 पता 10ए अमरविजय काम्पलेक्स होटल मानसिंह के	3109/1	0-03-00	बा0दो0	0.03 रू0


इसका अधिकारी
नंदाश्या (पाली)


पास संसारचन्द रोड़, जयपुर
जरिए अधिकृत प्रतिनिधि श्री
महावीर चौपड़ा पुत्र श्री
जवाहरलाल चौपड़ा मगनी पुत्री
जीवण वगैरह कौम-गुर्जर सा०
दाणी निम्बेटी खातेदार।

तदानुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद/तरमीम किया जावें। विभाजन प्रस्ताव / बंटवाड़ा रिपोर्ट अर्थात् पालना रिपोर्ट मय नजरी नक्शा दिनांक 29.12.2014 निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादी संख्या 111को जरिए रथाई निपेधाड़ा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा मय बंटवाड़ा रिपोर्ट दिनांक 29/12/2014 मय नजरी नक्शा की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।



निर्णय आज दिनांक 13/01/2015 को सरे ईजलास सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज०)


उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज०)
जैतारण (पाली)

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

राज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकाम:- जैतारण

बईजलास :- श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

वादी :-

बनाम

प्रतिवादीगण :-

श्री सीमेन्ट लि0 (रास प्रोजेक्ट) जरिए
महावीर चौपड़ा महाप्रबंधक (कार्मिक
व प्रशासन) पुत्र श्री जवाहरलाल
चौपड़ा सा. बांगड नगर अन्धेरी
देवरी, तहसील-मसूदा जिला-अजमेर
(राज0)

1. रुकमणी पुत्री जीवण
2. राधा पुत्री जीवण
3. मगनी पुत्री जीवण
जातियान-गुर्जर
निवासीगण-निम्बेटी (रास-11)
तह0-जैतारण, (जिला-पाली)
4. तहसीलदार, जैतारण
तहसील-जैतारण जिला -पाली


राजस्व वाद बाबत तकासमा आराजी व
स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0:259/2011

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरु-..... व हाजरी श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक विभाजन प्रस्ताव / बंटवाड़ा रिपोर्ट दिनांक 29/12/2014 मय नजरी नक्शा डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-रास द्वितीय, पटवार हल्का-रास द्वितीय, तहसील-जैतारण मे वाके आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 3109 रकबा 0-13 बीघा किरम बाराणी दोयम भूमि का बंटवाड़ा /विभाजन पक्षकारानों में निम्नांकित रूप से किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सक्नत	ख0नं0	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किरम	लगान
1	मैसर्स श्री सीमेन्ट लि0 (रास प्रोजेक्ट) जरिए महावीर चौपड़ा महाप्रबंधक (कार्मिक व प्रशासन) बांगड नगर अंधेरी देवरी तह0-मसूदा, जिला-अजमेर खातेदार।	3109	0-10-00	बा0दो0	0.13 रू0
2	रामगोपाल इन्डस्ट्रीज प्रा0लि0 पता 10ए अमरविजय काम्पलेक्स होटल मानसिंह के पास संसारचन्द रोड, जयपुर जरिए अधिकृत प्रतिनिधि श्री महावीर चौपड़ा पुत्र श्री जवाहरलाल चौपड़ा मगनी पुत्री जीवण वगैरह कौम-गुर्जर सा0 कृष्णी निम्बेटी खातेदार।	3109/1	0-03-00	बा0दो0	0.03 रू0

तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद/तरमीम किया जावें। विभाजन प्रस्ताव / बंटवाड़ा रिपोर्ट अर्थात् पालना रिपोर्ट मय नजरी नक्शा दिनांक 29.12.2014 निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादी संख्या 1को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता है। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा मय बंटवाड़ा रिपोर्ट दिनांक 29/12/2014 मय नजरी नक्शा प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होना वाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।



उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

नीज-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर
फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक-.....को अदा करें ।
 बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 13/01/2015 को
 आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत (न्यायालय हाजा) में जारी किया गया ।



उपखण्ड अधिकारी, जितारण
 बंगलगा (पाली)
 (जिला पाली)

मुखई	रुपये	पैसे	मुख्दायलाह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2	00	स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	2	00	महनताना वकील		
महनताना वकील	1		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	2	00	फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर	1		बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा	1		मुत्फरिक		
मिजान:-	7	00	मिजान:-		— Nil —

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिकी के जरिए
 दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावे ।